



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्र.2/मंत्रा/स्था-विविध/2017/2725 जयपुर दिनांक: 19.6.18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद अलवर एवं जयपुर।

विषय :- कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ पंचायत समितियों में कार्यरत निम्न कर्मचारियों की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर, पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहां से	कहां को
1	प्रकाश चन्द शर्मा	च0श्रे0क0	पं.स. शाहपुरा (जयपुर)	पं.स. बस्सी (जयपुर)
2	गजसिंह मीना	कार्यालय सहायक	पं.स. थानागाजी (अलवर)	पं.स. किशनगढ बास (अलवर)
3	लेखराज मीना	च0श्रे0क0	पं.स. थानागाजी (अलवर)	पं.स. रामगढ (अलवर)

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/वादकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
2. यदि किसी कार्मिक की परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावे।
4. इन कार्मिकों को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय नहीं है। इनके स्थानान्तरण से प्रभावित कार्मिक को यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(राजेन्द्र शंखर मक्कड)
अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपंराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
एवं संयुक्त शासन सचिव